रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I —खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 1993/फाल्गुन 27, 1914
No 168] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 1993/PHALGUNA 27, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1993

का. आ. 188(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 में—

(i) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

7. निरर्हता :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

बल मे नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति का इस नियम के प्रवर्तन मे छूट दे सकेगी।

(ii) नियम 10 के उपनियम (1) में "स्थायी पद पर" शब्द हटा दिये जाएंगे।

[फाइल सं. 1/63/90-सीएलओ/बीएसएफ]
जगन लाल, डैस्क अधिकारी

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र मे का.आ. 2336 तारीख 9 जून, 1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था :—

(1) का.आ. 1362 तारीख 7 अप्रैल, 1970;
(2) का.आ. 4034 तारीख 21 अक्तूबर, 1971,
(3) का.आ. 5087 तारीख 6 नवम्बर, 1971;
(4) का.आ. 329(अ) तारीख 29 अप्रैल, 1981;
(5) का.आ. 155 तारीख 1 मार्च, 1983;
(6) का.आ. 187 (अ) तारीख 23 मार्च, 1984, और
(7) का.आ. 136(अ) तारीख 29 मई, 1990.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 1993

S.O 188(E)—In exercise of the powers conferred by sub-sections(1) and (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Border Security Force Rules, 1969, namely —

1 (1) These rules may be called the Border Security Force (Amendment) Rules, 1993

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Border Security Force Rules, 1969, —

(i) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely —
"7 Disqualification —No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment in the Force .

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule"

(ii) in sub-rule (1) of rule 10 the words "against a permanent post" shall be deleted

[File No 1|63|90-CLO|BSF]

JAGAN LAL, Desk Officer

NOTE —The Principle rules were published in the Gazette of India vide S O 2336, dated the 9th June 1969 and subsequently amended by :—

(i) S/O 1362 dated 7th April 70,

(ii) S.O. 4034 dated 21st Oct' 71 ;

(iii) S.O. 5087 dated 6th Nov' 71 ;

(iv) S.O. 329(E), dated 29th Apr' 81 ,

(v) S.O. 155 dated 1st Mar'83 ·

(vi) S.O. 187(E), dated 23rd Mar' 84 ; and

(vii) S.O. 436(E), dated 29th May' 90.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993